



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2423]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2011/पौष 7, 1933

No. 2423]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2011/PAUSA 7, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2011

(आय कर)

का.आ. 2903(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार और स्विट्स परिबंध के बीच करार में संशोधन करने वाला एक प्रोटोकाल, जो 2 नवम्बर, 1994 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ था एवं जिसे 16 फरवरी, 2000 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित अनुपूरक प्रोटोकाल द्वारा संशोधित किया गया था, पर 30 अगस्त, 2010 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे ;

और जबकि, उक्त प्रोटोकाल के प्रवृत्त होने की तारीख 7 अक्टूबर, 2011 है, जो कि उक्त प्रोटोकाल के अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, उक्त प्रोटोकाल प्रवृत्त होने के लिए संबंधित कानूनों के द्वारा यथाअपेक्षित सभी कानूनी अनिवार्यताओं और कार्य प्रक्रियाओं के तृष्टिकरण के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है ;

और जबकि, उक्त प्रोटोकाल के अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (क) में व्यवस्था की गई है कि उक्त प्रोटोकाल के उपबंध, भारत में उस कैलेण्डर वर्ष जिस में वह संशोधनकारी प्रोटोकाल प्रवृत्त हुआ है, के अगले कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में लागू होंगे ;

और जबकि, उक्त प्रोटोकाल के अनुच्छेद 14 के पैराग्राफ 3 में यह व्यवस्था की गई है कि करार के अनुच्छेद 26 के संबंध में,

उक्त प्रोटोकाल में सूचना के आदान-प्रदान की, की गई व्यवस्था, ऐसी सूचना के लिए लागू होगी, जो उक्त प्रोटोकाल के हस्ताक्षर होने की तारीख के अनुवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित है ;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त प्रोटोकाल के सभी उपबंध, जैसा कि उससे संलग्न अनुबंध में निर्धारित किया गया है भारत संघ में 1 अप्रैल, 2012 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष उद्भूत आय के संबंध में लागू होंगे और करार के अनुच्छेद 26 के संबंध में, उक्त प्रोटोकाल में यथा उपलब्ध सूचना का आदान-प्रदान, ऐसी सूचना के लिए लागू होगा जो 1 अप्रैल, 2011 को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित है ।

प्रोटोकाल

2 नवम्बर, 1994 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित प्रोटोकाल सहित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य और स्विट्स परिबंध के बीच निष्पन्न करार, जिसे दिनांक 16 फरवरी, 2000 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित अनुपूरक प्रोटोकाल द्वारा संशोधित किया गया था, में संशोधन करने वाला प्रोटोकाल ।

भारत गणराज्य की सरकार

और

स्विट्स परिबंध काउंसिल

प्रोटोकाल को समाप्त करने के इच्छा करते हुए (जिसे इसके बाद "संशोधित प्रोटोकाल" कहा जाएगा) जिससे सविदाकारी पक्षों के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार को संशोधित किया जा सके, जो 2 नवम्बर, 1994 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ था एवं जिसे 16 फरवरी, 2000 को हस्ताक्षरित पूरक प्रोटोकाल द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसके बाद "करार" कहा जाएगा)

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :-

अनुच्छेद 1

करार के अनुच्छेद 3 का पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (i) (सामान्य परिभाषाएं) को हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(i) “अन्तर्राष्ट्रीय यातायात” पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के बीच ही चलाया जाता है ;”

अनुच्छेद 2

करार के अनुच्छेद 7 का पैराग्राफ 1 (कारोबारी लाभ) हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है परन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाएंगे ।”

अनुच्छेद 3

करार के अनुच्छेद 8 (वायु परिवहन) को हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“अनुच्छेद 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

1. संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।”

अनुच्छेद 4

करार के अनुच्छेद 11 का पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (ग) (ब्याज) को हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(ग) ब्याज, जो संविदाकारी राज्य में उद्भूत होता है और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किया जाता है एवं जो अन्तर्राष्ट्रीय यातायात जलयानों या वायुयानों के संचालन में लगा हुआ है, पर उस दूसरे राज्य में उस सीमा तक कर लगेगा जहां ऐसा ब्याज ऐसे क्रियाकलाप से संबंधित निधियों पर अदा किया जाता है ।”

अनुच्छेद 5

करार के अनुच्छेद 13 का पैराग्राफ 3 (पूँजीगत लाभ) हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“3. संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।”

अनुच्छेद 6

करार के अनुच्छेद 23 का पैराग्राफ 2 का उप-पैराग्राफ (ग) (दोहरे कराधान का अपाकरण) को हटाया जाएगा ।

अनुच्छेद 7

करार के अनुच्छेद 24 का पैराग्राफ 2 (समव्यवहार) हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन का उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों के करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वे अपने निवासियों को देता है ।”

अनुच्छेद 8

इस करार का अनुच्छेद 26 (सूचना का आदान-प्रदान) हटाया जाएगा और उसके स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबंधों को कार्यान्वित करने अथवा करार के अंतर्गत आने वाले करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के लिए पूर्वानुमानिक तौर पर संगत हैं क्योंकि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है ।

2. पैराग्राफ 1 के अंतर्गत किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में संदर्भित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, अपीलों के संबंध में उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन या उनके अपीलों के निर्धारण या उपरोक्त की चूक से संबंधित है । ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग

केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में इसे प्रकट कर सकते हैं। पूर्व के होते हुए भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त सूचना को अन्य उद्देश्यों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है जब ऐसी सूचना का प्रयोग ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत किया जाता हो और सूचना उपलब्ध कराने वाले राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करते हों।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना को सत्याई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचना की सत्याई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, रहस्य प्रकट होगा अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस अन्य राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना सत्याई करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नमिति या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है। इसलिए ऐसी सूचना प्राप्त करने की प्राधिकारियों को, पैराग्राफ 3 के अथवा इसके स्वदेशी कानूनों में किन्हीं प्रतिकूल उपबंधों के होते हुए भी इस पैराग्राफ में सम्मिलित सूचना के प्रकटन को लागू करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 9

कारार के प्रोतोकाल के एक नये पैराग्राफ 1 को जोड़ा जाएगा और शेष पैराग्राफों को तदनुसार पुनर्संख्यांकित किया जाएगा तथा इन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

"1. अनुच्छेद 4 के संदर्भ में

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 1 के "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद में उस संविदाकारी राज्य में एक अभिज्ञात पेंशन निधि अथवा पेंशन स्कीम शामिल है। आगे यह समझा जाता है कि एक संविदाकारी राज्य की अभिज्ञात पेंशन निधि

अथवा पेंशन स्कीम को उस राज्य के सांविधिक उपबंधों के अनुसार अभिज्ञात एवं नियंत्रित किसी पेंशन निधि अथवा पेंशन स्कीम के रूप में समझा जाएगा, जिसे सामान्य तौर पर उस राज्य में आय के कराधान से छूट प्राप्त होती है और जिसे मुख्य रूप से पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ प्रदान करने अथवा देने के लिए संचालित किया जाता है।"

अनुच्छेद 10

प्रोतोकाल के पैराग्राफ 2 के पहले उप-पैराग्राफ को (अनुच्छेद 7 के संदर्भ में) हटाया जाएगा।

अनुच्छेद 11

कारार के प्रोतोकाल के पैराग्राफ 4 को हटाया जाएगा और इसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को रखा जाएगा :

"5. अनुच्छेदों 10, 11, 12 और 22 के संदर्भ में—

अनुच्छेदों 10, 11, 12 और 22 के उपबंध किसी लाभशरी, ब्याज, रायल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अथवा कनडिट व्यवस्था के तहत प्रदत्त अथवा उसके भाग के रूप में अन्य आय के संबंध में लागू नहीं होंगे। "कनडिट व्यवस्था" पद का तात्पर्य उस संभवहार अथवा संभवहारों की श्रृंखला से है जिसे ऐसे रूप में तैयार किया गया है कि एक संविदाकारी राज्य का निवासी जो कारार के लाभों के लिए हकदार है जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत आय की मद प्राप्त करता है, परन्तु वह निवासी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर, सम्पूर्ण अथवा पर्याप्ततः उस समस्त आय को (किसी भी समय अथवा किसी भी रूप में) उस दूसरे व्यक्ति को अदा करता है जो दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है और जो, यदि आय की उस मद को दूसरे संविदाकारी राज्य से सीधे ही प्राप्त करता है तो उस राज्य जिसमें वह दूसरा व्यक्ति निवासी है, के बीच और संविदाकारी राज्य, जिसमें आय उद्भूत होती है अथवा अन्यथा दोहरे कराधान के परिहार के लिए किसी अभिसमय अथवा कारार के तहत आय की उस मद के संबंध में लाभों के लिए हकदार होगा जो, किसी संविदाकारी राज्य के एक निवासी को इस कारार के तहत उपलब्ध लाभों के सदृश अथवा अधिक अनुकूल है; और ऐसी अवसंरचना का मुख्य प्रयोजन इस कारार के तहत लाभों को प्राप्त करना है।

अनुच्छेदों 10 (लाभशरी), 11 (ब्याज) और 12 (तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी एवं फीस) के संबंध में, यदि भारत और तीसरे राज्य जो ओईसीडी का सदस्य है, के बीच किसी अभिसमय, कारार अथवा प्रोतोकाल पर इस संशोधी प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर करने के बाद हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो भारत लाभशरी, ब्याज, रायल्टियों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर आय की उक्त मदों पर इस कारार में उपलब्ध दर से कम दर पर स्रोत पर इसके कराधान को सीमित करता है, वही दरें, जो आय की उक्त मदों पर उस अभिसमय, कारार अथवा प्रोतोकाल में उपलब्ध हैं, भी उसी तारीख से इस कारार के तहत दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच लागू होंगी जिस तारीख को ऐसे अभिसमय, कारार अथवा प्रोतोकाल लागू होते हैं।

यदि, इस संशोधी प्रोतोकाल पर हस्ताक्षर होने की तारीख के बाद, भारत तीसरे राज्य, जो ओईसीडी का सदस्य है, के साथ कोई अभिसमय, कारार अथवा प्रोतोकाल के तहत रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के संबंध में कार्यसीमा को प्रतिबंधित करता है, जो इसकी तुलना में इस कारार के अनुच्छेद 12 में आव की इन मदों

को तब स्विट्जरलैंड और भारत बिना किसी विलंब के वार्तालापों को शुरू करेंगे ताकि स्विट्जरलैंड को वही संव्यवहार मिल सके जैसा कि तीसरे राज्य को उपलब्ध कराया गया है।”

अनुच्छेद 12

करार के प्रोटोकॉल के पैराग्राफ 7 को (अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 4 के संदर्भ में) हटाया जाएगा और इसके स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को रखा जाएगा :

“8. अनुच्छेद 21 के पैराग्राफ 2 के संदर्भ में—

यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि कर की उस दर से अधिक है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य की ऐसी ही कम्पनी के लाभ पर लगाई जाती है और न ही अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है। तथापि, कर दर में अंतर 10 प्रतिशत अंकों से अधिक नहीं होगा।”

अनुच्छेद 13

करार में प्रोटोकॉल के एक नये पैराग्राफ 10 को निम्नानुसार शामिल किया जाएगा :

“10. अनुच्छेद 26 के संदर्भ में—

(क) यह समझा जाता है सूचना के आदान-प्रदान के लिए तभी अनुरोध किया जाएगा जब अनुरोधकर्ता संविदाकारी राज्य ने उस सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने आन्तरिक कानूनों के तहत सभी सामान्य प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया हो।

(ख) यह समझा जाता है कि अनुरोधकर्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी तभी अनुरोधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएगा जब करार के अनुच्छेद 26 के तहत सूचना हेतु अनुरोध किया हो ;

(i) जांचाधीन अथवा परीक्षाणाधीन व्यक्ति(यों) के नाम और यदि प्राप्य हो, तो अन्य ब्यौरे, जो उस व्यक्ति की पहचान, जैसे कि पता, जन्म-तिथि, वैवाहिक स्थिति, कर पहचान संख्या, को सुकर बनाती हो;

(ii) समयावधि, जिसके लिए सूचना अनुरोधित है;

(iii) मांगी गई सूचना का विवरण जिसमें इसका स्वरूप एवं ढंग, जिसमें प्राप्तकर्ता राज्य, अनुरोधित राज्य से सूचना प्राप्त करने की इच्छा रखता है, शामिल है;

(iv) कर प्रयोजन, जिसके लिए सूचना मांगी गई है;

(v) नाम और यदि प्राप्य हो तो ऐसे व्यक्ति का पता जिसके पास अनुरोधित सूचना होने का अनुमान हो।

(ख) यदि अनुरोधकर्ता संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष तौर पर अनुरोध किया गया हो, तो अनुरोधित संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी

दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में सूचना मुहैया कराएगा।

(घ) सूचना का संदर्भ देने का प्रयोजन, जो पूर्वानुमानिक रूप से संगत हो सकता है का आशय, संविदाकारी राज्यों को “फिशिंग एक्पीडिशन” में लगे रहने अथवा उस सूचना के संबंध में अनुरोध करने से रोकते हुए जिसकी करदाता के कर मामलों हेतु संगत होने की संभावना नहीं है, विस्तृत संभावित सीमा तक कर मामलों में सूचना का आदान-प्रदान मुहैया कराना है। जबकि पैराग्राफ 10 के खंड (ख) में वह महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं शामिल हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि फिशिंग एक्पीडिशन फिर से न हो, इस क्रम में फिर भी उप-खंड (i) से (v) की व्याख्या करने की आवश्यकता है ताकि प्रभावी सूचना के आदान-प्रदान में कोई बाधा न आए।

(ङ) आगे यह समझा जाता है कि करार का अनुच्छेद 26 संविदाकारी राज्यों को स्वतः अथवा सहज आधार पर सूचना का आदान-प्रदान करने की अनुमति नहीं देगा।

(च) यह समझा जाता है कि सूचना के आदान-प्रदान के मामले में, अनुरोधित संविदाकारी राज्य में उपलब्ध करदाताओं के अधिकारों के संबंध में प्रशासनिक प्रक्रियात्मक नियम, अनुरोधकर्ता संविदाकारी राज्य को सूचना भेजने से पहले लागू रहते हैं। आगे यह समझा जाता है कि इस उपबंध का उद्देश्य करदाता को उचित प्रक्रिया का आश्वासन देना है और न कि सूचना के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को रोकना अथवा उसमें अनुचित रूप से विलंब करना है।

अनुच्छेद 14

1. संविदाकारी राज्यों की सरकारें राजनयिक माध्यमों के जरिए एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगी कि इस संशोधी प्रोटोकॉल को लागू करने की सभी कानूनी अपेक्षाओं एवं प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है।

2. संशोधी प्रोटोकॉल, जो करार का अभिन्न अंग होगा, को पैराग्राफ में उल्लिखित अधिसूचनाओं के बाद की अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा, और इसके उपबंधों का निम्न प्रभाव होगा :

(क) भारत में,

उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें संशोधी प्रोटोकॉल प्रवृत्त हुआ है के अगले उत्तरवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में; और

(ख) स्विट्जरलैंड में,

उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें संशोधी प्रोटोकॉल प्रवृत्त हुआ है, के अगले उत्तरवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के होते हुए भी, करार के अनुच्छेद 26 के संबंध में इस संशोधी प्रोटोकॉल में उपलब्ध सूचना

का आदान-प्रदान उस सूचना के संबंध में लागू होगा जो इस संशोधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की तारीख के अगले उत्तरवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित हो।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों की ओर से इस संशोधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार दस के अगस्त माह के तीसवें दिन, अंग्रेजी, हिन्दी और जर्मन भाषाओं में, दो-दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ-निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
(प्रणब मुखर्जी)
वित्त मंत्री

स्विस परिसंघ काउंसिल
की ओर से
(मिशालीन काल्मी-रे)
अध्यक्ष, स्विस परिसंघ
विदेश विभाग

[अधिसूचना सं. 62/201/फा. सं. 501/01/1973-एफटीडी-1]

संजय कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2011

(INCOME-TAX)

S.O. 2903 (E).—Whereas a Protocol amending the Agreement between the Republic of India and the Swiss Confederation for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income with Protocol, signed at New Delhi on the 2nd day of November, 1994, as amended by the supplementary Protocol signed at New Delhi on the 16th day of February, 2000, was signed at New Delhi on the 30th day of August, 2010;

And whereas the date of entry into force of the said Protocol is the 7th day of October, 2011, being the date of later of the notifications of satisfaction of all legal requirements and procedures as required by the respective laws for entry into force of the said Protocol, in accordance with Paragraph 2 of Article 14 of the said Protocol;

And whereas sub-paragraph (a) of Paragraph 2 of Article 14 of the said Protocol provides that the provisions of the said Protocol shall have effect in India in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Amending Protocol entered into force;

And whereas Paragraph 3 of Article 14 of the said Protocol provides that with respect to Article 26 of the Agreement, the exchange of information provided for in

the said Protocol will be applicable for information that relates to any fiscal year beginning on or after the first day of January of the year next following the date of signature of the said Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Protocol, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the 1st day of April, 2012 and with respect to Article 26 of the Agreement, the exchange of information provided for in the said Protocol will be applicable for information that relates to any fiscal year beginning on or after the 1st day of April, 2011.

PROTOCOL

AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE SWISS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME WITH PROTOCOL, SIGNED AT NEW DELHI ON 2 NOVEMBER, 1994, AS AMENDED BY THE SUPPLEMENTARY PROTOCOLSIGNED AT NEW DELHI ON 16 FEBRUARY, 2000.

The Government of the Republic of India

and

the Swiss Federal Council;

Desiring to conclude a Protocol (hereinafter referred to as "Amending Protocol") to amend the Agreement between the Contracting Parties for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income, signed at New Delhi on 2 November 1994, as amended by the supplementary Protocol signed at New Delhi on 16 February, 2000 (hereinafter referred to as "the Agreement");

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Sub-paragraph (i) of paragraph 1 of Article 3 (General Definitions) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following sub-paragraph:

"(i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;"

ARTICLE 2

Paragraph 1 of Article 7 (Business profits) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following paragraph:

"1. The profits of an enterprise of a Contracting State

4694 5011-2

shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.”

ARTICLE 3

Article 8 (Air transport) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following Article :

“Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.”

ARTICLE 4

Paragraph 3 Sub-paragraph (c) of Article 11 (Interest) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following :

“(c) interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State engaged in the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that other State to the extent that such interest is paid on funds connected with such activity ;”

ARTICLE 5

Paragraph 3 of Article 13 (Capital gains) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following paragraph :

“3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.”

ARTICLE 6

Sub-paragraph (c) of paragraph 2 of Article 23 (Elimination of double taxation) of the Agreement shall be deleted.

ARTICLE 7

Paragraph 2 of Article 24 (Non-discrimination) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following paragraph :

“2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to resident of the other Contracting State

any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.”

ARTICLE 8

Article 26 (Exchange of information) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following Article :

“Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes covered by the Agreement in-so-far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State ;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State ;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (order public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may

not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person. In order to obtain such information, the tax authorities of the requested Contracting State shall, therefore, have the power to enforce the disclosure of information covered by this paragraph, notwithstanding paragraph 3 or any contrary provisions in its domestic laws."

ARTICLE 9

A new paragraph 1 of the Protocol to the Agreement shall be added and the remaining paragraphs shall be renumbered accordingly and shall read as follows :

"1. With reference to Article 4

It is understood that paragraph 1 of Article 4, the term "resident of a Contracting State" includes a recognized pension fund or pension scheme in that Contracting State. It is further understood that a recognized pension fund or pension scheme of a Contracting State shall be regarded as any pension fund or pension scheme recognized and controlled according to statutory provisions of that State, which is generally exempt from income taxation in that State and which is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits."

ARTICLE 10

The first sub-paragraph of paragraph 2 of the Protocol (With reference to Article 7) shall be deleted.

ARTICLE 11

Paragraph 4 of the Protocol to the Agreement shall be deleted and replaced by the following paragraph :

"5. with reference to Articles 10, 11, 12 and 22

The provisions of Articles 10, 11, 12 and 22 shall not apply in respect to any dividend, interest, royalty, fees for technical services or other income paid under, or as part of a conduit arrangement. The term "conduit arrangement" means a transaction or series of transactions which is structured in such a way that a resident of a Contracting State entitled to the benefits of the Agreement receives an item of income arising in the other Contracting State but that resident pays, directly or indirectly, all or substantially all of that income (at any time or in any form) to another person who is not a resident of either Contracting State and who, if it received that item of income directly from the other Contracting State, would not be entitled under a

Convention of Agreement for the avoidance of double taxation between the State in which that other person is resident and the Contracting State in which the income arises, or otherwise, to benefits with respect to that item of income which are equivalent to, or more favourable than, those available under this Agreement to a resident of a Contracting State, and the main purpose of such structuring is obtaining benefits under this Agreement.

In respect of Articles 10 (Dividends), 11 (Interest) and 12 (Royalties and fees for technical services), if under any Convention, Agreement or Protocol between India and a third State which is a member of the OECD signed after the signature of this Amending Protocol, India limits its taxation at source on dividends, interest, royalties or fees for technical services to a rate lower than the rate provided for in this Agreement on the said items of income, the same rate as provided for in that Convention, Agreement or Protocol on the said items of income shall also apply between both Contracting States under this Agreement as from the date on which such Convention, Agreement or Protocol enters into force.

If after the date of signature this Amending Protocol, India under any Convention Agreement or Protocol with a third State which is a member of the OECD, restricts the scope in respect of royalties or fees for technical services than the scope for these items of income provided for in Article 12 of this Agreement, then Switzerland and India shall enter into negotiations without undue delay in order to provide the same treatment to Switzerland as that provided to the third State."

ARTICLE 12

Paragraph 7 of the Protocol to the Agreement (With reference to paragraph 4 of Article 24) shall be deleted and replaced by the following paragraph :

"8. With reference to paragraph 2 of Article 24.

It is understood that the provisions of paragraph 2 of Article 24 shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7. However the difference in tax rate shall not exceed 10 percentage points."

ARTICLE 13

A new paragraph 10 of the Protocol to the Agreement shall be added as follows :

"10. With reference to Article 26

- (a) It is understood that an exchange of information will only be requested once the

requesting Contracting State has exhausted all normal procedures under its domestic laws to obtain that information.

(b) It is understood that the competent authority of the requesting State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under Article 26 of the Agreement :

- (i) the name of the person(s) under examination or investigation and, if available, other particulars facilities that persons's identification such as address, date of birth, marital status, tax identification number;
- (ii) the period of time for which the information is requested;
- (iii) a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting State wishes to receive the information from the requested State;
- (iv) the tax purpose for which the information is sought;
- (v) the name and, if available, address of any person believed to be in possession of the requested information.

(c) If specifically requested by the competent authority of the requesting Contracting State, the competent authority of the requested Contracting State shall provide information in the form of authenticated copies of documents.

(d) The purpose of referreing to information that may be foreseeably relevant is intended to provide for exchange of information in tax matters to the widest possible extent without allowing the Contracting States to engage in "fishing expeditions" or to request information that is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given taxpayer. While clause (b) of paragraph 10 contains important procedural requirements that are intended to ensure that fishing expeditions do not occur, sub-clause (i) through (v) nevertheless need to be interpreted in order not to frustrate effective exchange of information.

(e) It is further understood that Article 26 of the Agreement shall not commit the Contracting States to exchange information on an automatic or a spontaneous basis.

(f) It is understood that in case of an exchange of information, the administrative procedural rules regarding taxpayers' rights provided for in the requested Contracting State remain applicable before the information is transmitted to the requesting Contracting State. It is further understood that this provision aims at guaranteeing the taxpayer a fair procedure and not at preventing or unduly delaying the exchange of information process."

ARTICLE 14

1. The Government of the Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that all legal requirements and procedures for giving effect to this Amending Protocol have been satisfied.

2. The Amending Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect :

(a) in India,

In respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calender year in which the Amending Protocol entered into force; and

(b) in Switzerland,

in respect of income arising in any fiscal year beginning or or after the first day of January next following the calender year in which the Amending Protocol entered into force.

3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, with respect to Article 26 of the Agreement, the exchange of information provided for in this Amending Protocol will be applicable for information that relates to any fiscal year beginning on or after the first day of January of the year next following the date of signature of this Amending Protocol.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Amending Protocol.

Done in duplicate at New Delhi this 30th day of August, 2010 in the English, German and Hindi languages, all texts being equally authentic. In the case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of India :

(Shri Pranab Mukherjee)

Finance Minister

For the Swiss Federal Council :

(Micheline Calmy-Rey)

Head of the Swiss Federal

Department of Foreign Affairs

[Notification No. 62/2011/F. No. 501/01/1973-FTD-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Jt. Secy.